

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

जज अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना.....

प्राथी:- मोतीराम पुत्र भागीरथराम, उम्र-55साल, जाति-जाट, निवासी-बाँसा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:- सुजाराम पुत्र स्वर्गीय भागीरथराम, उम्र-40साल, जाति-जाट, निवासी-निम्बा का बास, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

केसम मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र 212 R.T. Act.

संख्या-...181...सन्-.....2017....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
03.12.2017	<p>प्राथी मोतीराम पुत्र भागीरथराम, उम्र-55साल, जाति-जाट, निवासी-बाँसा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान. ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण सुजाराम पुत्र स्वर्गीय भागीरथराम, उम्र-40साल, जाति-जाट, निवासी-निम्बा का बास, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एक पक्षीय तर्क वकील प्राथी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्राथी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी तारीख पेशी तक, विवादित भूमि वाकै शरहद मौजा बाँसा में खसरा संख्या 311 तथा वाकै शरहद मौजा पीपलाँ का बास में खसरा नम्बर 566 के राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखी जावे।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 07.01.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">2-2</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p> <p>7/1/18</p> <p>पत्रावली पेश की गयी थी। अन्तर्गत/ अन्य कार्यवाही कर ली जायेगी, मिसल दिनांक 2/3/18 को पेश हो। अन्तर्गत/ 01 म 04 की अन्तर्गत/ ये-अन्तर्गत/ पेश दिनांक/ 2</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।</p>



